भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या-*271
सोमवार, 15 मार्च, 2021/24 फाल्गुन, 1942 (शक)

बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी/सहायता

***271. श्री रामशिरोमणि वर्माः**
श्रीमती संगीता आज़ादः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र में कोविड-**19** वैश्विक महामारी के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके कामगारों/श्रमिकों/शिक्षित युवाओं की संख्या उत्तर प्रदेश सहित राज्य-वार कितनी है**;**

(ख) क्या सरकार ने इन सभी बेरोजगार लोगों को रोजगार प्रदान करने के लिये कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ग) राज्य-वार एवं जिला-वार उनमें से कितने व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया गया है**;** और

(घ) क्या सरकार का विचार नौकरी गंवा चुके व्यक्तियों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान करने का है**?**

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क से घ): एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

**

"बेरोजगार व्यक्तियों को नौकरी/सहायता" के संबंध में श्री रामशिरोमणि वर्मा, श्रीमती संगीता आज़ाद द्वारा पूछे गए लोक सभा के दिनांक 15-03-2021 के तारांकित प्रश्न संख्या *271 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) से (घ): कोरोना वायरस (कोविड-19) महामारी और फिर लगने वाले लॉकडाउन ने भारत सहित विश्व भर की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत सरकार ने कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों एवं खतरों के समाधान के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

सरकार आत्मनिर्भर वित्तीय पैकेज के रूप में सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। आत्मनिर्भर भारत पैकेज में देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों हेतु रोजगार अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ-साथ नए रोजगार के सृजन को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि को बहाल करने हेतु प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव कम करती है एवं उन्हें और अधिक कामगारों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, दो वर्षों की अवधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान प्रदान कर रही है। 28.02.2021 को लाभार्थियों के पंजीकरण की स्थिति नीचे दी गई है:

पंजीकृत प्रतिष्ठानों की संख्या	पंजीकृत नए कर्मचारियों की संख्या	लाभ की धनराशि
1.83 लाख	15.30 लाख	186.34 करोड़ रु.

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत, सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ताओं के 12% अंशदान और कर्मचारियों के 12% के अंशदान-दोनों का योगदान किया है, जो कि 100 कर्मचारियों तक रखने वाले प्रतिष्ठानों के 90% ऐसे कर्मचारियों जो 15000/- रुपए से कम अर्जित करते हैं, के लिए मार्च से अगस्त, 2020 माह के वेतन माह हेतु कुल 24% है। पीएमजीकेवाई योजना के तहत, 38.82 लाख पात्र कर्मचारियों के ईपीएफ खातों में 2567.66 करोड़ रु. डाले गए थे।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत, बेरोजगारी लाभ को औसत आय के 25% से बढ़ा कर 50% किया गया है, जो लाभ का दावा करने के लिए पात्रता शर्तों में छूट के साथ 90 दिवसों तक देय है।

कोविड-19 फैलाव के परिणामस्वरूप गांवों की ओर लौटने वाले प्रवासी कामगारों हेतु रोजगार एवं आजीविका अवसरों को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने 20 जून, 2020 को छह राज्यों हेतु गरीब कल्याण रोजगार अभियान (जीकेआरए) प्रारंभ किया है। जीकेआरवाई के तहत छह राज्यों में 50,78,68,671 मानव दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं।

सरकार ने वापास लौट रहे प्रवासी कामगारों सहित और अधिक कार्य आवश्यकता के समाधान के लिए कुल मिलाकर लगभग 300 करोड़ मानवदिवस सृजित करने के लिए एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत 40,000/- करोड़ रु. अतिरिक्त उद्दिष्ट किए हैं। 13.62 करोड़ परिवारों को लाभ प्रदान करने के लिए एमजीएनआरईजीए मजदूरी को 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए किया गया है।

पीएम-स्व-निधि योजना ने रेहड़ी-पटरी वालों को फिर से अपना व्यापार शुरू करने के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 10,000/- रु. तक का गैर-जमानती कार्यकारी पूंजीगत ऋण प्रदान करने के कार्य को सरल बनाया है।

*****